पत्र संख्याः 1/भा॰–1003/2025सा0 प्र0–9465/

<u>बिहार सरकार</u>

<u>सामान्य प्रशासन विभाग</u>

<u>ई–मेल</u>

प्रेषक,

सिद्धेश्वर चौधरी,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार संवर्ग),
(एन.पी.एस. से सम्बद्ध सभी पदाधिकारी)।

पटना–15, दिनांकः 28.05.2025

विषयः– **पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की अधिसूचना दिनांक 19.03.2025 के आलोक में निर्धारित समयसीमा में एकीकृत पेंशन योजना में शामिल होने हेतु विकल्प समर्पित करने के संबंध में मार्गदर्शन।**

प्रसंगः– सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 1/भा.–1003/2025 सा.प्र. –8495 दिनांक 15.05.2025 एवं ज्ञापांक 9229 दिनांक 23.05.2025.

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक की छायाप्रतियां संलग्न करते हुए कहना है कि पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की अधिसूचना दिनांक 19.03.2025 के प्रयोज्यता एवं पंजीकरण संबंधी अध्याय II एवं III (छायाप्रतियां संलग्न) के क्रमांक 2(1) में विकल्प समर्पित करने हेतु दिनांक 01.04.2025 से तीन माह के भीतर का समय निर्धारित है।

साथ ही, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के प्रासंगिक ज्ञापांक दिनांक 23.05.2025 द्वारा परिचालित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के पत्र दिनांक 16.05.2025 में विहित प्रपत्र (छायाप्रतियां संलग्न) में सूचनाएं वांछित हैं। उक्त सूचनाओं को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण को शीघ्र भेजा जाना अपेक्षित है।

अतः अनुरोध है कि पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की अधिसूचना दिनांक 19.03.2025 के प्रयोज्यता एवं पंजीकरण संबंधी अध्याय II एवं III के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को विकल्प समर्पित करते हुए संलग्न विहित प्रपत्र की सूचनाएं शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

27/5/2025

(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

332 |Pinky| D:\ Letter

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

(23)

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20032025-261726
CG-DL-E-20032025-261726

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 183] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 19, 2025/फाल्गुन 28, 1946
No. 183] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 19, 2025/PHALGUNA 28, 1946

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2025

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन) विनियम, 2025

फा. सं. पीएफआरडीए-12/01/0001/2023-विधि.—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उप-धारा (1) तथा उसकी उपधारा (2) के खंड (च) और (व) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाए जाते हैं, ताकि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत शामिल किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत की गई एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को संचालित किया जा सके, नामतः -

22

अध्याय I

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन विनियमों को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन) विनियम, 2025" कहा जाएगा।

(2) इन विनियमों का उद्देश्य केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या फा. सं. एफएक्स-1/3/2024-पीआर, दिनांक 24 जनवरी, 2025 के माध्यम से अधिसूचित एकीकृत पेंशन योजना को क्रियान्वित करने के लिए संरचना निर्धारित करना और इस योजना के कार्यान्वयन और इसके साथ जुड़े या आनुषंगिक मामलों से सम्बन्धित मध्यवर्तियों और केंद्र सरकार के कार्यालयों के दायित्वों, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करना है ।

(3) ये विनियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे।

2. **परिभाषाएँ.** - (1) इन विनियमों में, जब तक कि अन्यथा संदर्भित न हो-

(क) "अधिनियम" का अर्थ है पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23);

(ख) "प्राधिकरण" का अर्थ है पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण;

(ग) "स्वीकार्य भुगतान" का अर्थ है वह राशि है जो एक यूपीएस अभिदाता को आजीवन देय होगी, जैसा कि इन विनियमों के तहत निर्दिष्ट अनुपात और रीति में निर्धारित किया गया है;

(घ) "बेंचमार्क कॉर्पस" का अर्थ है वह कोष, जिसे विनियम 12 के तहत निर्दिष्ट किया गया है;

(ङ) "डिफ़ॉल्ट पैटर्न" का अर्थ है पेंशन निधि(यों) और निवेश पैटर्न का वह विकल्प, जिसे प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यूपीएस के तहत व्यक्तिगत कॉर्पस के संबंध में निर्धारित किया जाता है;

(च) "पारिवारिक भुगतान" वह मासिक राशि है, जो किसी दिवंगत अभिदाता के कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी को देय होती है;

(छ) "कार्यालय प्रमुख" का अर्थ है केंद्र सरकार द्वारा जारी वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 2024 के अंतर्गत परिभाषित एक राजपत्रित अधिकारी, और इसमें ऐसे अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति शामिल हैं जिन्हें केंद्र सरकार, आदेश द्वारा, कार्यालय प्रमुख के रूप में निर्दिष्ट कर सकता है;

ज) "व्यक्तिगत कॉर्पस" का अर्थ है किसी अभिदाता के व्यक्तिगत स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) में देय इकाइयों का शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य;

(झ) " कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी " का अर्थ है यूपीएस अभिदाता का पति या पत्नीजिसका नाम अधिवर्षिता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या मूल नियम 56 (ञ) के अंतर्गत सेवानिवृत्ति (जिसे केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के अंतर्गत शास्ति के रूप में नहीं माना जाता है), जैसा कि लागू हो, की तिथि पर सेवा रिकॉर्ड में उपलब्ध हो, और जो यूपीएस अभिदाता के पश्चात् जीवित हो;

(ञ) "पूल कॉर्पस" का अर्थ है वह कोष, जिसे विनियम 7 के तहत निर्दिष्ट किया गया है;

(ट) "अर्हक सेवा" का अर्थ है, यूपीएस अभिदाता की सेवा-अवधि जिसकी गणना विनियम 13 के तहत निर्दिष्ट रीति में की गयी हो;

(ठ) "अनुसूची" का अर्थ है इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियाँ;

(ड) "एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस)" का अर्थ है, वह विकल्प जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत शामिल किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूपीएस अधिसूचना के अनुसार उपलब्ध है;

(ढ) "यूपीएस अधिसूचना" का अर्थ है वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या फा. सं. एफएक्स-1/3/2024-पीआर, दिनांक 24 जनवरी, 2025;

(ण) "यूपीएस भुगतान आदेश" का अर्थ वह प्राधिकार है, जिसे वेतन एवं लेखा अधिकारी (पी ए ओ) द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट को जारी किया जाता है, जिसमें विनियम 20 के तहत निर्दिष्ट विवरण शामिल होते हैं।

(त) इन विनियमों के उद्देश्यों के लिए "यूपीएस अभिदाता" का अर्थ है, केंद्र सरकार का वह कर्मचारी है, जिसने इन विनियमों के अनुसार यूपीएस विकल्प का चयन किया हो और इसके तहत नामांकित हुआ हो;

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों को, जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है, उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए मौजूदा विनियमों में परिभाषित किया गया हो।

अध्याय II

प्रयोज्यता

3. **एकीकृत पेंशन योजना की प्रयोज्यता.** - (1) एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का विकल्प केंद्र सरकार के निम्नलिखित श्रेणी के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा-

(i) दिनांक 01 अप्रैल, 2025 तक मौजूदा केंद्र सरकार के कर्मचारी, जो अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत शामिल हैं;

(ii) केंद्र सरकार की सेवाओं में दिनांक 1 अप्रैल, 2025 या उसके बाद शामिल नए भर्ती हुए कार्मिक;

(iii) (क) कोई केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, जो एनपीएस के अंतर्गत शामिल किया गया था और जो 31 मार्च 2025 या उससे पहले अधिवर्षिता प्राप्त कर चुका है या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले चुका है, या मौलिक नियम 56 (ञ) के तहत सेवानिवृत्त हुआ है (जो कि केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के तहत शास्ति के रूप में नहीं मानी जाती); या

(ख) उस अभिदाता के कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी, जो अधिवर्षित या सेवा-निवृत्त हो चुका है और यूपीएस के लिए विकल्प का चयन करने से पहले उसकी मृत्यु हो गई है;

(2) यूपीएस के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए पात्र कर्मचारी द्वारा विकल्प का चयन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(i) 1 अप्रैल 2025 से तीन महीने के भीतर, या केंद्र सरकार द्वारा यदि किसी विस्तारित समयसीमा की अनुमति दी जाती है, तो उसके भीतर, उप-नियम (1) के खंड (i) और खंड (iii) के तहत वर्णित व्यक्ति के संबंध में; और

(ii) उप-नियम (1) के उप-खंड (ii) के तहत वर्णित व्यक्ति के संबंध में केंद्र सरकार सेवाओं में शामिल होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर, या केंद्र सरकार द्वारा यदि किसी विस्तारित समयसीमा की अनुमति दी जाती है, तो उसके भीतर।

(3) एक बार चुना गया विकल्प अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा ।

अध्याय III

पंजीकरण

4. यूपीएस के तहत विकल्प का चयन और नामांकन. - (1) विनियम 3 के तहत आने वाला कोई भी व्यक्ति, विकल्प चयन अवधि समाप्त होने से पहले यूपीएस के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए, निम्नलिखित रीति से विकल्प का चयन करेगा-

(क) कोई केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, जो 1 अप्रैल 2025 को सेवा में कार्यरत है और एनपीएस स में शामिल है, वह यूपीएस विकल्प के तहत नामांकन के लिए अनुसूची I के फॉर्म ए2 में संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) को आवेदन प्रस्तुत करेगा, जो इन विनियमों के अनुरूप होगा;

(ख) दिनांक 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद केंद्रीय सरकारी सेवाओं में शामिल होने वाले किसी नए भर्ती कर्मचारी के लिए, एनपीएस के तहत मौजूदा नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगी। यदि ऐसा नया भर्ती कर्मचारी एनपीएस के तहत यूपीएस विकल्प चुनता है, तो वह अनुसूची I के फॉर्म ए1 में संबंधित डीडीओ को आवेदन प्रस्तुत करेगा, जो इन विनियमों के अनुरूप होगा;

(ग) कोई पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, जो 31 मार्च 2025 या उससे पहले अधिवर्षित हो चुका है या मौलिक नियम 56(ञ) के तहत सेवानिवृत्त हुआ है (जो कि केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के तहत शास्ति नहीं माना जाता) और जो एनपीएस के अंतर्गत शामिल किया गया था, वह अनुसूची I के फॉर्म बी 2 में केवाईसी दस्तावेजों के साथ संबंधित डीडीओ को आवेदन प्रस्तुत करेगा, ताकि इन विनियमों में निर्दिष्ट रीति से यूपीएस विकल्प के तहत लाभ प्राप्त कर सके;

(घ) किसी मृतक केंद्र सरकार के कर्मचारी के मामले में जिसने अधिवर्षिता प्राप्त की है या मौलिक नियम 56(ञ) (जिसे केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के तहत शास्ति के रूप में नहीं माना जाता है), जैसा भी लागू हो, के तहत 31 मार्च 2025 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हुआ है, और एनपीएस के अंतर्गत शामिल किया गया था और यूपीएस के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र था, कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी को इन विनियमों के तहत निर्दिष्ट रीति से जब ऐसे लाभ देय और भुगतान योग्य हो जाते हैं, तो यूपीएस विकल्प के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए केवाईसी दस्तावेजों के साथ अनुसूची I के फॉर्म बी6 में संबंधित डीडीओ को एक आवेदन जमा करना होगा।

(2) अनुसूची I में यथा लागू सूचीबद्ध फॉर्म ए1, ए2, बी2 और बी6, सीआरए पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन या कार्यालय प्रमुख या डीडीओ को भौतिक रूप से जमा किए जा सकते हैं।

(3) सीआरए पोर्टल के माध्यम से सब फॉर्म के ऑनलाइन प्रस्तुत करने की स्थिति में, सीआरए उस व्यक्ति को एक पावती प्रदान करेगा और साथ ही साथ, इसे सत्यापन हेतु डीडीओ को भेजेगा। डीडीओ, कार्यालय प्रमुख से आवश्यक विवरण प्राप्त करने के बाद, सीआरए प्रणाली में रिकॉर्ड अपडेट करेगा और इसे वेतन एवं लेखा अधिकारी (पी ए ओ) को प्रमाणीकरण के लिए अग्रेषित करेगा।

(4) यदि उप-नियम (1) में उल्लिखित व्यक्ति सीआरए पोर्टल के माध्यम से यूपीएस विकल्प का चयन करने में असमर्थ है, तो ऐसे व्यक्ति को कार्यालय प्रमुख के पास सीधे या डीडीओ के माध्यम से भौतिक रूप से फॉर्म प्रस्तुत करने की सुविधा होगी। ऐसे मामलों में, कार्यालय प्रमुख विकल्प की जानकारी डीडीओ को अग्रेषित करेगा। डीडीओ, कार्यालय प्रमुख से प्राप्त आवश्यक जानकारी के आधार पर सीआरए प्रणाली में रिकॉर्ड अपडेट करेगा और इसे प्रमाणीकरण के लिए पीएओ को अग्रेषित करेगा।

(5) जो कोई भी उप-नियम (1) के तहत विकल्प का चयन करने के लिए पात्र है और निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर एनपीएस के तहत यूपीएस विकल्प का चयन नहीं करता, उसे यूपीएस विकल्प के बिना एनपीएस के तहत जारी रहने के लिए माना जाएगा।

5. स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन). - (1) वे कर्मचारी, जो विनियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (क) और (ख) के अंतर्गत आते हैं और जिन्होंने एनपीएस के तहत यूपीएस विकल्प को चुनने के लिए फॉर्म ए1 या ए2 (जो भी लागू हो) प्रस्तुत किया है तथा जिनका आवेदन संबंधित वेतन एवं लेखा अधिकारी (पीएओ) द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार अधिकृत किया गया है, उन्हें यूपीएस से जुड़े स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) द्वारा चिह्नित किया जाएगा।

(2) वे व्यक्ति, जो विनियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (ग) और (घ) के अंतर्गत आते हैं और जिन्होंने एनपीएस के तहत यूपीएस विकल्प को चुनने के लिए फॉर्म बी2 और बी6 (जो भी लागू हो) प्रस्तुत किया है तथा जिनका आवेदन संबंधित वेतन एवं लेखा अधिकारी (पीएओ) द्वारा अधिकृत किया गया है, उन्हें उनके पूर्ववर्ती पीआरएएन द्वारा चिह्नित किया जाएगा, जो यूपीएस से टैग होगा।

(3) सीआरए उन यूपीएस अभिदाताओं के व्यक्तिगत कॉर्पस का अंतरण करेगा, जो विनियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (क) के अंतर्गत आते हैं और जिन्होंने यूपीएस विकल्प का चयन किया है। यह अंतरण संबंधित वेतन एवं लेखा अधिकारी (पी ए ओ) द्वारा उचित अनुमोदन के पश्चात, यूपीएस से जुड़े पीआरएएन में किया जाएगा, जिसे प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रक्रिया और समयसीमा के भीतर पूरा किया जाएगा।

(4) यूपीएस अभिदाता, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत आल सिटिज़न मॉडल में स्वेच्छा से एनपीएस (टीयर I और टीयर II) के तहत अतिरिक्त खाता रख सकता है।

अध्याय IV
अंशदान

6. व्यक्तिगत कॉर्पस. -(1) यूपीएस अभिदाता का मासिक अंशदान उसके मूल वेतन (जिसमें, जहाँ लागू हो, गैर-प्रैक्टिसिंग भत्ता भी शामिल है) और महंगाई भत्ते का दस प्रतिशत होगा, जिसे यूपीएस अभिदाता के व्यक्तिगत प्रान (पीआरएएन) में जमा किया जाएगा।

(2) यूपीएस अभिदाता के मासिक अंशदान के बराबर राशि केंद्र सरकार द्वारा यूपीएस अभिदाता के व्यक्तिगत प्रान में जमा करके मिलाई जाएगी ।

(3) डीडीओ केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के वेतन से अंशदान की कटौती करेगा और प्रत्येक यूपीएस अभिदाता के संबंध में कटौती किए गए अंशदान का विवरण संलग्न करते हुए वेतन एवं लेखा अधिकारी (पीएओ) या चेक आहरण एवं संवितरण अधिकारी (सीडीडीओ), जो भी लागू हो, को प्रत्येक माह की 20 तारीख तक बिल भेजेगा।

(4) पीएओ या सीडीडीओ, जो भी लागू हो, डीडीओ द्वारा भेजे गए प्रत्येक यूपीएस अभिदाता के अंशदान के विवरण के आधार पर, एक अभिदाता अंशदान फ़ाइल (एस सी एफ) तैयार करेगा और सीआरए प्रणाली में लेनदेन आईडी (ट्रांसक्शन आई डी) उत्पन्न करेगा, जो प्रत्येक माह की 25 तारीख तक किया जाएगा।

(5) पी ए ओ या सीडीडीओ, जो भी लागू हो, कर्मचारी अंशदान तथा केंद्र सरकार के समतुल्य सह-अंशदान को मान्यता प्राप्त बैंक के माध्यम से न्यासी बैंक (ट्रस्टी बैंक) में प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस तक प्रेषित करेगा।

बशर्ते कि मार्च माह का अंशदान, वेतन एवं लेखा अधिकारी (पीएओ) या सीडीडीओ द्वारा, मान्यता प्राप्त बैंक के माध्यम से, अप्रैल माह के पहले कार्य दिवस को न्यासी बैंक में प्रेषित किया जाएगा।

बशर्ते कि किसी कर्मचारी, जो 31 मार्च 2025 को एनपीएस का अभिदाता था और जिसने यूपीएस का विकल्प चुना है, उसके लिए यूपीएस के तहत पहला अंशदान, विकल्प के प्रयोग के अगले माह में जमा किया जाएगा।

बशर्ते कि केंद्र सरकार में नए भर्ती हुए कर्मचारी का पहला अंशदान आवेदन जमा करने की तारीख से बीस दिनों के भीतर या उस महीने की अंतिम तारीख तक, जिसमें केंद्र सरकार का कर्मचारी शामिल हुआ, जो भी बाद में हो, व्यक्तिगत पीआरएएन में जमा किया जाएगा।

7. पूल कॉर्पस. - (1) पूल कॉर्पस में निम्नलिखित शामिल होंगे:-

(i) मूल वेतन (जिसमें, जहाँ लागू हो, गैर-प्रैक्टिसिंग भत्ता भी शामिल है) और महंगाई भत्ते के अनुमानित साढ़े आठ प्रतिशत की दर से अतिरिक्त केंद्र सरकार का अंशदान, यूपीएस विकल्प चुनने वाले सभी कर्मचारियों के समग्र आधार पर;

(ii) विनियम 19 (3) के अनुसार, एक अभिदाता के व्यक्तिगत कॉर्पस से शेष राशि का हस्तांतरण; और

(iii) केंद्र सरकार द्वारा परिभाषित कोई अन्य अंशदान।

(2) पूल कॉर्पस का प्रबंधन पेंशन निधि(यों) द्वारा किया जाएगा, जो विनियम 10 के तहत निर्दिष्ट केंद्र सरकार के निर्देशों और उस संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाने वाले ऐसे अन्य निर्देशों के अनुसार होगा।

8. निधि आधारित प्रणाली. - (1) यूपीएस, एक 'निधि-आधारित' प्रणाली होने के नाते, कर्मचारियों को अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति, जैसा भी मामला हो, के बाद सुनिश्चित भुगतान के लिए लागू अंशदान (कर्मचारी और नियोक्ता दोनों से) के नियमित और समय पर संचय और निवेश पर निर्भर करती है।

(2) यूपीएस के तहत लाभों के समय पर और नियमित भुगतान का आश्वासन व्यक्तिगत और पूल कॉर्पस के तहत निधियों की पर्याप्तता पर निर्भर करेगा।

अध्याय V

अंशदानों का निवेश

9. निवेश उद्देश्य. - अंशदानों को पेंशन निधि(यों) द्वारा निवेशित और प्रबंधित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य निवेश पर प्रतिफल को अनुकूलित करना है, यूपीएस अभिदाता(ओं) के हित में अंशदान की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पेंशन निधि(यां) निधि प्रबंधन करते समय पर्याप्त कदम उठाएगी और विवेक, तत्परता और अपनी तकनीकी विशेषज्ञता का प्रयोग करेगी।

10. पूल कॉर्पस का निवेश. - (1) पूल कॉर्पस को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित ऐसी पेंशन निधि(यों) को आवंटित किया जाएगा, जो केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित निवेश पैटर्न और उससे संबंधित पहलुओं के अनुसार निधियों का निवेश करेगी। प्राधिकरण ऐसे निर्देशों के अधीन, निवेश दिशानिर्देश जारी करेगा जिनका पेंशन निधियों को पालन करना होगा।

(2) पूल कॉर्पस का वार्षिक ऑडिट एक ऑडिटर द्वारा किया जाएगा, जिसे प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
स्पष्टीकरण : "ऑडिटर" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 के तहत उल्लिखित है।

11. व्यक्तिगत कॉर्पस का निवेश. - (1) यूपीएस अभिदाताओं को उनके व्यक्तिगत कॉर्पस में किए गए अंशदान के निवेश हेतु पेंशन निधि और निवेश पैटर्न (जिसमें एक डिफ़ॉल्ट पैटर्न भी शामिल होगा) चुनने का विकल्प मिलेगा। यह विकल्प प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा।

(2) यूपीएस अभिदाता के पास पेंशन निधि(यों) के डिफ़ॉल्ट पैटर्न और डिफ़ॉल्ट निवेश का विकल्प होगा; या

अनुसूची-I

[विनियम 4, 19, 20 और 23 देखें]

फॉर्म A2

[विनियम 4 देखें]

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत पहले से ही पंजीकृत केंद्रीय सरकार के कर्मचारी के द्वारा एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के अंतर्गत आने के लिए विकल्प का चयन

मैं,..श्री / श्रीमती .... का पुत्र / पुत्री, 01/04/2025 को स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन)...................... के साथ एनपीएस का एक अभिदाता होने के नाते, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना एफ. संख्या एफएक्स-1/3/2024-पीआर, दिनांक 24/01/2025 और पीएफआरडीए (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन) विनियम, 2025 समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचित एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के प्रावधानों को पढ़कर और पूरी तरह से समझकर, और एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुनने के लिए पात्र होने के नाते, एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के अंतर्गत आने के लिए विकल्प का चयन करता/करती हूँ।

इसके अतिरिक्त, मैं एतद्द्वारा स्वीकार करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रयोग किया गया यह विकल्प अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा।

मैं सीआरए, एनपीएस ट्रस्ट या यूपीएस से जुड़ी किसी अन्य संस्था को पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 और उसके तहत अधिसूचित प्रासंगिक विनियमों के तहत विनियमित उक्त योजना के प्रयोजन के लिए, मेरी आवश्यक व्यक्तिगत जानकारी का डेटा / विवरण एकत्र करने और साझा करने के लिए अधिकृत करता/करती हूँ।

दिनांक : -------------

स्थान : -------------

अभिदाता के हस्ताक्षर

नाम ----------------------

(सेवा अभिलेखों के आधार पर डीडीओ द्वारा भरा और प्रमाणित किया जाना है)

रोजगार विवरण (यूपीएस विकल्प के चयन के समय)	
कर्मचारी कोड/आईडी	

अर्हक सेवा की शुरुआत की तारीख (विनियम 13 के साथ पठित विनियमन 2(ट) में परिभाषित अर्हक सेवा)	
वर्तमान माह का मूल वेतन	
गैर-अभ्यास (गैर-प्रैक्टिसिंग) भत्ता (एनपीए), यदि लागू हो	
अगली वेतन वृद्धि के लिए निर्धारित तिथि	

डीडीओ के हस्ताक्षर और नाम	पीएओ के हस्ताक्षर और नाम
डीडीओ पंजीकरण संख्या-	पीएओ पंजीकरण संख्या-
दिनांक: स्थान:	दिनांक: स्थान:

नोट/निर्देश:

- इस फॉर्म की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति डीडीओ द्वारा कर्मचारी के सेवा रिकॉर्ड में रखी जाएगी और उसकी एक प्रति कर्मचारी को उसके रिकॉर्ड के लिए प्रदान की जाएगी।
- डीडीओ कार्यालय प्रमुख द्वारा सत्यापित डेटा को केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण प्रणाली (सीआरए सिस्टम) में दर्ज करेगा और अभिदाता द्वारा फॉर्म के भौतिक रूप से जमा करने की स्थिति में, डीडीओ इस विधिवत हस्ताक्षरित विकल्प फॉर्म की एक प्रति अपलोड करेगा। पीएओ अपने लॉगिन के माध्यम से सीआरए प्रणाली में अभिदाता द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प को अधिकृत और अनुमोदित करेगा।

(34)

E-Mail

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

फ़ाइल संख्या/File No.: PFRDA/17/08/11/0029/2017-SUP-SG   दिनांक/Date: 16.05.2025

प्रति,	To,
मुख्य सचिव, बिहार सरकार, मुख्य सचिवालय, पटना, बिहार - 800015	The Chief Secretary, Government of Bihar, Main Secretariat, Patna, Bihar - 800015

महोदय,/ महोदया, / Dear Sir/ Madam,

Subject: Request for data with respect to Timely Implementation of Unified Pension Scheme for All India Services (AIS) Officers

1. The Government of India, vide Notification No. FX-1/3/2024-PR dated 24.01.2025, has introduced the Unified Pension Scheme (UPS) as an option under the NPS for its employees. In line with the notification, PFRDA (Operationalisation of UPS as an Option under NPS) Regulations, 2025, was notified to provide the enabling legal framework for implementation of UPS within the Central Government. Accordingly, the UPS is implemented effective from April 1, 2025, as an option under NPS.

2. Vide letter dated 30.04.2025 issued by DoPT, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, GoI on the captioned subject matter, it is mentioned that the UPS provides a defined benefit contributory pension framework for Central Government employees, including All India Services (AIS) officers. The scheme is designed with an individual corpus and a pool corpus, with specific contribution responsibilities for employees and the Government. For All India Service (AIS) officers opting for UPS, such contributions will be made by their respective States cadres. under UPS.

3. Under the present CRA system, as there is no categorisation of AIS officials, all the employees/officials are enrolled under NPS as per the terms and conditions as applicable to a particular state/UTs based on their notification for NPS, and are tagged to respective nodal offices. However, for implementation of UPS for the AIS officials in line with the Central Govt. UPS scheme, they are required to be segregated and tagged to a separate state level nodal office (SNO), who would undertake activities related to UPS specifically for the AIS officials. For migration to UPS, each state Govt will have to establish a dedicated three tier nodal structure (DTA, DTO, DDO) exclusively for AIS officers opting for UPS. The dedicated nodal offices should process the migration requests for AIS officers as per Inter Sector Shifting Process.

ई–500, टॉवर–ई, पांचवां तल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली–110029
दूरभाष: 91–11–40717900, वेबसाइट: www.pfrda.org.in
E-500, Tower-E, Fifth Floor, World Trade Center, Nauroji Nagar, New Delhi-110029
Phone: 91-11-40717900, Website: www.pfrda.org.in

4. Keeping in view the above aspects as well as the fact that the timeline to exercise option of UPS under NPS is a time bound activity i.e. by 30.06.2025 and that presently there is no separate categorisation for AIS officers in CRA system, the state government/ Union Territory are requested to provide the list of AIS officials in their state by the authorized official as per the following format to CRA under intimation to PFRDA within 7 days i.e., latest by **23.05.2025**:

S. No.	Name of State Government/ Union Territory	PRAN	Name of the Employee	Current Designation	Type of Service (IAS/ IPS/ IFoS)	Date of Birth (dd.mm.yyy)	Date of Joining Services (dd.mm.yyy)	Mobile number	Email Id

5. The above data may be provided in excel format also along with pdf copy of the signed letter from authorized officials to Protean CRA at:

Shri Madhusudan Das
AVP
Protean eGov Technologies Ltd.
Times Tower, 1st Floor, Kamala Mills Compound,
Lower Parel, Mumbai – 400013
madhusudand@proteantech.in

And the same may be emailed at akikd@proteantech.in, Senior Lead, PCRA, rameshk@proteantech.in , Senior Lead, PCRA. For any queries, the nodal office may contact at Priyanka.gupta@pfrda.org.in and bhawna.malhotra@pfrda.org.in.

6. Further, please provide the details of the proposed state level nodal office (SNO), who would undertake activities related to UPS specifically for the AIS officials

Yours Sincerely,

(विकास कुमार सिंह)/ (Vikas Kumar Singh)
मुख्य महाप्रबंधक /Chief General Manager

CC:

Shri Surjith Karthikeyan, Director, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Room No 24 A, 3rd Floor, JeevanDeep Building, Sansad Marg, New Delhi, Delhi 110001

(32)

S. No.	Name of the State Government/Union Territory	PRAN	Name of the Employee	Current Designation	Type of Service (IAS/IPS/IFS	Date of Birth (dd:mm:yy)	Mobile Number

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

ई–मेल

ज्ञापांकः–1/भा॰–1003/2025 सा0प्र0–9229/पटना–15, दिनांकः 23.05.25

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/अखिल भारतीय सेवा के सभी पदाधिकारी को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संलग्न पत्रांक 8495 दिनांक 15.05.2025 (जो सामान्य प्रशासन विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है) के आलोक में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/5/2025

(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

334|Pinky| D:\ Letter

पत्र संख्याः 1/भा॰–1003/2025सा0 प्र0–8495/

ई–मेल

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सिद्धेश्वर चौधरी,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

अखिल भारतीय सेवा (बिहार संवर्ग) के सभी पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांकः 15.5.25

विषयः– **पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की अधिसूचना दिनांक 19.03.2025 में निर्धारित समयसीमा में एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प समर्पित करने के संबंध में।**

प्रसंगः– **कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्रांक–25014/01/2025-AIS-II(Pension) दिनांक 30.04.2025 एवं पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की अधिसूचना दिनांक 19.03.2025.**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र दिनांक 30.04.2025 एवं पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की अधिसूचना दिनांक 19.03.2025 की छायाप्रतियां संलग्न करते हुए कहना है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के अनुबद्ध पत्र दिनांक 30.04.2025 में अखिल भारतीय सेवा के इच्छुक पदाधिकारियों से एकीकृत पेंशन योजना में शामिल होने हेतु नियत समयसीमा के अन्दर विकल्प समर्पित करने की अपेक्षा की गयी है।

2. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की अधिसूचना दिनांक 19.03.2025 के प्रयोज्यता संबंधी अध्याय II के क्रमांक 2(1) में विकल्प समर्पित करने हेतु दिनांक 01.4.2025 से तीन माह के भीतर का समय निर्धारित है।

2.1 पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की अधिसूचना दिनांक 19.03.2025 के पंजीकरण से संबंधित अध्याय III में विकल्प समर्पित करने की प्रक्रिया निहित है।

(27)

3. अतः अनुरोध है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के संलग्न पत्र एवं पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की अधिसूचना दिनांक 19.03.2025 के संगत प्रावधानों के अनुरूप वांछित विकल्प ससमय समर्पित करते हुए समर्पित विकल्प की प्रति अपने-अपने नियंत्री विभाग को भी पेषित करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

15/5/2025

(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।

ई-मेल

ज्ञापांक:-1/भा.-1001/2022 (खंड-2)-सा0प्र0-8495/पटना-15, दिनांक: 15.5.25

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को संगत अनुलग्नको के साथ एवं आई.टी. मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/5/2025

सरकार के अवर सचिव।

पीएफआरडीए द्वारा पत्र दिनांक 16.5.2025 - एआईएस अधिकारियों के लिए यूपीएस हेतु डेटा का अनुरोध/ Letter from PFRDA dated 16.5.2025- Request for Data for UPS for AIS Officers

From : NPS CGSG PFRDA <nps.cgsg@pfrda.org.in> Fri, May 16, 2025 04:46 PM

Subject : पीएफआरडीए द्वारा पत्र दिनांक 16.5.2025 - एआईएस अधिकारियों के लिए यूपीएस हेतु डेटा का अनुरोध/ Letter from PFRDA dated 16.5.2025- Request for Data for UPS for AIS Officers 2 attachments

To : Chief Secretary, Bihar <cs-bihar@nic.in>

Cc : Vikas Kumar Singh <vikas.s@pfrda.org.in>, Priyanka Gupta <priyanka.gupta@pfrda.org.in>, Bhawna Malhotra <bhawna.malhotra@pfrda.org.in>, Uttam Chand Meena <uttam.meena@pfrda.org.in>, SURJITH KARTHIKEYAN <surjith.k@nic.in>, MadhusudanD@proteantech.in, AkikD@nsdl.co.in, rameshk@proteantech.in, gobpension@gmail.com

महोदय / महोदया,
Dear Sir/ Madam,

कृपया संलग्न प्राप्त करें पीएफआरडीए द्वारा पत्र दिनांक 16.5.2025 - एआईएस अधिकारियों के लिए यूपीएस हेतु डेटा का अनुरोध और डेटा प्रदान करने का प्रारूप

Please find enclosed Letter from PFRDA dated 16.5.2025- Request for Data for UPS for AIS Officers and format for providing data

शुभकामनाओं सहित | Best Regards

पर्यवेक्षण विभाग (केंद्र व राज्य सरकारों, केंद्रीय और राज्य स्वायत्त निकायों) | Supervision of CG/SG/CABs/SABs
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण | Pension Fund Regulatory & Development Authority
ई-500, टावर ई, 5वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर| E-500, Tower E, 5th Floor, World Trade Centre
नौरोजी नगर, नई दिल्ली-110029| Nauroji Nagar, New Delhi-110029

Caution: *The Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) never sends any e-mail / message promising large sums for payment of fee / charge. Any such communication is sent with the intention to defraud you. Inform police immediately.*

Disclaimer: *This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you are not the intended recipient, any dissemination, use, review, distribution, printing or copying of the information contained in this e-mail message and/or attachments to it are strictly prohibited. If you have received this email by error, please notify us by return e-mail or telephone and immediately and permanently delete the message and any attachments. The recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this email.*

Bihar-Letter to CS States & UTs 16.5.2025- UPS for AIS-pages-2.pdf
281 KB

Data Format- UPS for AIS 16.5.2025.xlsx
9 KB

(28)

पत्र संख्याः 1/भा०–1003/2025सा0 प्र0–8495/

ई–मेल

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सिद्धेश्वर चौधरी,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

अखिल भारतीय सेवा (बिहार संवर्ग) के
सभी पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांकः 15.5.25

विषयः– **पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की अधिसूचना दिनांक 19.03.2025 में निर्धारित समयसीमा में एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प समर्पित करने के संबंध में।**

प्रसंगः– **कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्रांक–25014/01/2025-AIS-II(Pension) दिनांक 30.04.2025 एवं पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की अधिसूचना दिनांक 19.03.2025.**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र दिनांक 30.04.2025 एवं पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की अधिसूचना दिनांक 19.03.2025 की छायाप्रतियां संलग्न करते हुए कहना है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के अनुबद्ध पत्र दिनांक 30.04.2025 में अखिल भारतीय सेवा के इच्छुक पदाधिकारियों से एकीकृत पेंशन योजना में शामिल होने हेतु नियत समयसीमा के अन्दर विकल्प समर्पित करने की अपेक्षा की गयी है।

2. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की अधिसूचना दिनांक 19.03.2025 के प्रयोज्यता संबंधी अध्याय II के क्रमांक 2(1) में विकल्प समर्पित करने हेतु दिनांक 01.4.2025 से तीन माह के भीतर का समय निर्धारित है।

2.1 पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की अधिसूचना दिनांक 19.03.2025 के पंजीकरण से संबंधित अध्याय III में विकल्प समर्पित करने की प्रक्रिया निहित है।

27

3. अतः अनुरोध है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के संलग्न पत्र एवं पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की अधिसूचना दिनांक 19.03.2025 के संगत प्रावधानों के अनुरूप वांछित विकल्प ससमय समर्पित करते हुए समर्पित विकल्प की प्रति अपने–अपने नियंत्री विभाग को भी पेषित करने की कृपा की जाय।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

15/5/2025

(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।

ई–मेल

ज्ञापांकः–1/भा०–1001/2022 (खंड–2)–सा0प्र0–8495/पटना–15, दिनांकः 15.5.25

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को संगत अनुलग्नको के साथ एवं आई.टी. मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/5/2025

सरकार के अवर सचिव।